

FORM-1
(For linear projects)

Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector District Guna (M.P.)

No. 358

Dated: 22.09.2014

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India letter NO. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **1.9927** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **MP Jal Nigam Guna** for Pipe laying work under Rajghat Multi Village Scheme in Guna district falls within jurisdiction of following villages & Compartment no's in Raghogarh, Aron, Madhusudangarh & Guna Tehsil (Case no. **146483**)

S.N.	Compartment No.	Village	Total Area Required (Ha)
1.	P-144	Datya	0.0442
2.	P-145	Dhirdeh	0.0034
3.	P-699	Kudai Parsa	0.0938
4.	P-700	Kudai Parsa	0.0453
5.	P-147	Barkhua	0.0686
6.	P-696	Tuman khedi	0.0318
7.	P-702	Naganpur	0.0154
8.	P-678	Vijaypur	0.0280
9.	P-682	Daurana	0.3024
10.	P-155	Dhay	0.0038
11.	P-674	Dhuawad	0.0220
12.	P-675	Dhuawad	0.0536
13.	P-676	Dhuawad	0.0088
14.	P-677	Dhuawad	0.0208
15.	P-679	Dhuawad	0.0220
16.	P-687	Dhay	0.0201
17.	P-684	Dhiratpur	0.0447
18.	P-688	Dhiratpur	0.0770
19.	P-683	Nadner	0.1663
20.	P-686	Nadner	0.1659
21.	P-687	Nadner	0.0890
22.	P-706	Sawatkhedi	0.0846
23.	P-711	Patan	0.2862
24.	P-316	Hirapur	0.1500
25.	P-314	Bamori Bujurg	0.1450
Total			1.9927

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.9927** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all

Consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabah(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 3 annexure.

- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre Agricultural Communities.

Encl: As above


(Amanbir Singh Bains)
Collector
District Guna (M.P.)

कार्यालय, जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जिला गुना, (म.प्र.)

क्रमांक / 355 / आ.जा.क. / वन अधि. / 2024

दिनांक 22.2.2024

विषय :- राजघाट समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत वनभूमि में भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में आवेदित क्षेत्र में वनाधिकारों के विनिश्चय बावत्। (प्रकरण क्र. 146483)

- संदर्भ :- 1. खण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति उपखण्ड राघौगढ़, जिला गुना का विनिश्चय क्रमांक/वन अधि./2024/241 दिनांक 15.02.2024
2. खण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति उपखण्ड गुना, जिला गुना का विनिश्चय क्रमांक/वन अधि./2024/741 दिनांक 15.02.2024
3. खण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति उपखण्ड आरोन, जिला गुना का विनिश्चय क्रमांक/वन अधि./2024/396 दिनांक 15.02.2024

महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मर्यादित परि. कि. ई. गुना म.प्र. का पत्र क्रमांक 2196 दिनांक 28.06.2023 के संबंध में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति उपखण्ड राघौगढ़ के विनिश्चय दिनांक 15.02.2024, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति उपखण्ड आरोन के विनिश्चय दिनांक 15.02.2024 एवं उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति उपखण्ड गुना के विनिश्चय दिनांक 15.02.2024 द्वारा पारित विनिश्चय में उल्लेख है। कि राजघाट ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत भूमिगत पाइप लाईन बिछाने हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही वन विभाग में प्रचलित है। वन विभाग द्वारा उक्त भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव के साथ यह प्रमाणीकरण चाहा गया है कि उक्त राजघाट समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत भूमिगत पाइप लाईन बिछाने हेतु ग्रामों की सूची निम्नानुसार विकासखण्ड राघौगढ़ के 22 ग्रामों का रकवा 1.4115, विकास खण्ड आरोन के 01 ग्राम का रकवा 0.2862 एवं विकास खण्ड गुना के 02 ग्रामों का रकवा 0.295 इस प्रकार कुल 25 ग्रामों का प्रकरण क्रमांक 146483 में कुल रकवा 1.9927 हेक्टेयर वन भूमि में संबंधित ग्रामों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकारों के विनिश्चयन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।

क्र.	कंपार्टमेंट नं.	वनखण्ड	पंचायत	ग्राम	रकवा (हेक्टेयर में)
1	P-144	पूर्व राघौगढ़	बंदरगढ़ा	दत्ता	0.0442
2	P-145	पूर्व राघौगढ़	बंदरगढ़ा	धीरदेह	0.0034
3	P-699	दक्षिण राघौगढ़	बंदरगढ़ा	कुड़ई परसा	0.0938
4	P-700	दक्षिण राघौगढ़	बंदरगढ़ा	कुड़ई परसा	0.0453
5	P-147	पूर्व राघौगढ़	बरखेडीडांग	बरखुआ	0.0686
6	P-696	भैसाना	भैसाना	तुमनखेडी	0.0318
7	P-702	दक्षिण राघौगढ़	चैनपुरा	नागनपुर	0.0154
8	P-678	उत्तर राघौगढ़	दौराना	विजयपुर	0.0280
9	P-682	उत्तर राघौगढ़	दौराना	दौराना	0.3024
10	P-155	पूर्व राघौगढ़	दुहावद	धाय	0.0038
11	P-674	उत्तर राघौगढ़	दुहावद	दुहावद	0.0220
12	P-675	उत्तर राघौगढ़	दुहावद	दुहावद	0.0536
13	P-676	उत्तर राघौगढ़	दुहावद	दुहावद	0.0088
14	P-677	उत्तर राघौगढ़	दुहावद	दुहावद	0.0208
15	P-679	उत्तर राघौगढ़	दुहावद	दुहावद	0.0220

16	P-687	उत्तर राघौगढ़	दुहावद	धाय	0.0201
17	P-684	उत्तर राघौगढ़	मोरवास	धीरतपुर	0.0447
18	P-688	उत्तर राघौगढ़	मोरवास	धीरतपुर	0.0770
19	P-683	उत्तर राघौगढ़	नादनेर	नादनेर	0.1663
20	P-686	उत्तर राघौगढ़	नादनेर	नादनेर	0.1659
21	P-687	उत्तर राघौगढ़	नादनेर	नादनेर	0.0890
22	P-706	दक्षिण राघौगढ़	सावतखेड़ी	सावतखेड़ी	0.0846
23	P-711	किशनगढ़	पाटन	पाटन	0.2862
24	P-316	हिलगना महु	हिलगना	हीरापुर	0.1500
25	P-314	हिलगना महु	महुगढ़ा	बमोरीबुजुर्ग	0.1450
कुल रकवा					1.9927 हेक्टेयर

उक्त संबंध में उक्त ग्रामों के प्राप्त दावों का परीक्षण किया गया एवं संबंधित ग्राम सभाओं तथा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति राघौगढ़, आरोन एवं गुना से प्रमाणीकरण लिया गया। परीक्षण में पाया गया कि उक्त राजघाट ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु आवेदित क्षेत्र पर कोई दावा वनाधिकार के तहत अनिर्णित या लंबित नहीं है।

अतः उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति राघौगढ़, आरोन एवं गुना के विनिश्चय अनुसार वांछित प्रतिवेदन महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई, गुना को दिया जाना उचित होगा।

बी. सिसोदिया
जिला संयोजक
आदिम जाति कल्याण विभाग, गुना

अक्षय राठौर
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

अमनबीर सिंह बैस
कलेक्टर,
जिला गुना (म.प्र.)